संख्या-73/2019/487/71-3-2019-जी-227/2016

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
बहराइच।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 29 अप्रैल, 2019**

विषयः- केन्द्र सहायितत योजना (फेज-1) के अंतर्गत जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चि0शि0 के पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2019-20/44, दिनांक 26-04-2019, जिसके द्वारा मेडिकल कालेज, बहराइच के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 19755.55 लाख की शासनादेश संख्या-34/2019/216/71-3-2019-जी-227/2016, दिनांक 09-03-2019 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष मेडिकल कालेज, बहराइच के निर्माण कार्य हेतु अब तक निर्गत वित्तीय स्वीकृति का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	संख्या-2/2017/31/71-1-2017-जी-227/2016, दिनॉक 04-01-2017	775.00
2	संख्या-5/2018/4014/71-1-2017-जी-227/2016, दिनॉक 15-01-2017	3300.00
3	संख्या-32/2018/48/71-3-2018-जी-227/2016, दिनॉक 08-03-2018	2033.00
4	संख्या-03/2018/110/71-3-2018-जी-227/2016, दिनांक 24-03-2018	4500.00
5	संख्या-48/2018/1043/71-3-2018-जी-158/2017टीसी-5, दिनांक 17-12-2018	1150.00
6	संख्या-60/2019/386/71-3-2019-61/2018टीसी-2, दिनांक 27-03-2019	1050.00
	योग	12808.00

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच के निर्माण कार्य हेतु **पुनरीक्षित लागत रू0 19755.55 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में रू0 1200.00 लाख (रू0 बारह करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. कार्य की गुणवत्ता मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि, प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में थर्ड पार्टी आडिट गुणवत्ता रिपोर्ट से संतुष्ट होने के उपरान्त ही, कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाए।
2. प्रायोजना हेतु स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखा जायेगा।
3. प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22-03-2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
5. प्रायोजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाए तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित की जाए।
6. स्वीकृति के मूल शासनादेश दिनांक 04-01-2017 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति के शासनादेश दिनांक 09-03-2019 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-67-जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

संख्या:-73/2019/487(1)/71-3-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
11. नियोजन-अनुभाग-4
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।